[भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना
(आयकर)

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई, 2010

का.आ. जबकि केन्द्र सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) [जिसे बाद में उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया] की धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का.आ. 51 (अ), दिनांक 8 जनवरी, 2008 के तहत औद्योगिक पार्क के लिए स्कीम निर्मित एवं अधिसूचित किया है;

और जबकि मैसर्स इनफिनिटी इंफोटेक पार्क लिमिटेड, जिसका पंजीकृत पता इनफिनिटी, प्लाट ए-3, ब्लाक-जीपी, सेक्टर V, साल्ट लेक इलेक्ट्रॉनिक्स काम्प्लेक्स, कोलकाता-700091 में है, ने प्लाट सं. जी-1, ब्लाक जीपी, सेक्टर V, साल्ट लेक इलेक्ट्रॉनिक्स काम्प्लेक्स, कोलकाता-700091 में एक औद्योगिक पार्क विकसित किया है;

अत: अब आयकर नियमावली, 1962 के नियम 18 ग के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और औद्योगिक पार्क स्कीम, 2008 के उपबंधों के अधीन केन्द्र सरकार एतदद्वारा मैसर्स इनफिनिटी इंफोटेक पार्क लिमिटेड, कोलकाता को एक उपक्रम तथा प्लाट सं. जी-1, ब्लाक जीपी, सेक्टर V,साल्ट लेक इलेक्ट्रॉनिक्स काम्प्लेक्स, कोलकाता-700091 जिसे उक्त उपक्रम द्वारा द्वारा विकसित तथा अनुरक्षित एवं प्रचालित किया जा रहा है, के रूप में उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

2. उपर्युक्त औद्योगिक पार्क के शुरू होने की तिथि 28 मार्च, 2008 है ।

3. अधिसूचना अवैध हो जाएगी तथा मैसर्स इनफिनिटी इंफोटेक पार्क्स लिमिटेड, ऐसी अवैधता की किन्हीं प्रतिक्रियाओं के लिए मात्र जिम्मेदार होगी, यदि-

(i) आवेदन तथा इसके द्वारा प्रस्तुत परवर्ती दस्तावेज जिनके आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है, में गलत सूचना/ झूठी जानकारी होगी अथवा कुछ वस्तुगत सूचना इसमें नहीं दी गई होगी ;

(ii) यह औद्योगिक पार्क की अवस्थिति के लिए है जिसके हेतु एक अन्य उपक्रम के नाम से अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गई है ।

4. केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बिना परियोजना प्लान में किसी संशोधन अथवा भविष्य में संसूचन अथवा आवेदक द्वारा किसी वस्तुगत तथ्य को उजागर न करने पर औद्योगिक पार्क का अनुमोदन अवैध हो जाएगा।

[अधिसूचना सं. 54/2010 **फा.सं. 178/30/ 2009-आ.का.नि.-I]**

पदम सिंह

(पदम सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार प्रेस,
रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
(राजौरी गार्डन के निकट), नई दिल्ली